न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/सीलिंग/3301/2006/कोटा

1. बद्री लाल मृतक जरिये विधिक वारिसान–

1/1.श्रीमती काली बाई पत्नी बद्री लाल

1/2. राधेश्याम पुत्र बद्री लाल

1/3.सीतराम पुत्र बद्रीलाल

1/4.रघुवीर पुत्र बद्री लाल

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

1/5.श्रीमती कौशल्या पुत्री बद्री लाल पत्नी हेमराज मीणा निवासी ग्राम श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

1/6. बाबूलाल पुत्र बद्री लाल जाति मीणा निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

2.श्रीराम पुत्र भैरू लाल मीणा

3.मथुरा लाल पुत्र भैरू लाल मीणा मृतक जरिये विधिक वारिसान –

3/1. पुष्पा बाई पत्नी मथुरा लाल

3/2.महावीर पुत्र मथुरा लाल

3/3.रामस्वरूप पुत्र मथुरा लाल

3/4.शौकिन पुत्र मथुरा लाल

3/5. संतोष पुत्री मथुरा लाल

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

प्रत्यर्थी

एकल पीठ

श्री सुनील कुमार शर्मा सदस्य

उपस्थित

श्री शशिकान्त जोशी अभिभाषक अपीलार्थी

श्रीमती पूनम माथुर अति. राज. अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः 04–03–2021

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 23(2) (ए) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर, सीलिंग कोटा के निर्णय दिनांक 9–5–2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग कोटा ने आक्षेपित निर्णय के द्वारा एसेसी बद्री लाल के हिस्से की 1.20 स्टे. एकड भूमि एवं एसेसी भैरू लाल के कायम मुकामान के हिस्से की 16.63 स्टे.एकड भूमि अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये हैं।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे बताया कि अपीलार्थी संख्या 2व 3 के पिता भैरू लाल का स्वर्गवास दिनांक 1–4–66 से पूर्व हो चुका था तथा भैरू लाल के वारिसान अपीलार्थी संख्या 2 व3 एवं मु. कल्ली बेवा भैरू लाल थे। इसलिये भैरू लाल के हिस्से की भूमि के तीन वारिसान होने के कारण तीनों अलग अलग यूनिट होने से सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं थी।

वादगस्त आराजी में से 34बीघा 2 विस्वा भूमि नहर में अवाप्त कर ली गई थी जिसको कुल भूमि में से कम किया जाकर सीलिंग सीमा का निर्धारण करना चाहिये था। उनका तर्क है कि खातेदार बद्री लाल व भैरू लाल के वारिसान से इन्तकाल संख्या 111 से 15बीघा 14विस्वा भूमि सिंचाई विभाग द्वारा तथा इन्तकाल संख्या 114 से भूमि सुधार में अधिग्रहण की गई है। उक्त भूमि ऐसेसी के खाते से कम करनी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त जो स्टे. एकड बनाये गये हैं उनकी गणना सही रूप से नहीं की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उस पर गौर किये बिना निर्णय पारित किया गया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

5. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को भली भांति विवेचन कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 एवं धारा 151 जाब्ता दीवानी सपठित धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपीलार्थी संख्या 3 मथुरा लाल के कायम मुकामान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रस्तुत किया। उभय पक्ष की सहमति सें प्रार्थना पत्र

स्वीकार किया जाकर मृतक मथुरा लाल के कायम मुकामान को रेकार्ड पर लेने के आदेश दिये जाते हैं।

8. राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने के पश्चात यह स्थिति स्पष्ट होती है कि प्राधिकृत अधिकारी परगना अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–4–75 को कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं राज्य हित के विपरीत मानते हुये राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 5–11–82 के द्वारा प्रकरण को पुनः खोलकर अतिरिक्त जिलाधीश कोटा को प्रेषित किया गया। जिस पर दिनांक 25–7–90 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत हुई जिसमें दिनांक 7–4–92 को निर्णय पारित करते हुये अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। एक अन्य अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग के निर्णय दिनांक 25–7–90 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 1–6–94 को निर्णय पारित करते हुये पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलार्थीगण ने राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक7–4–92 एवं 1–6–94 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 17–3–97 को निर्णय पारित करते हुये राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये। जिस पर विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 9–5–2006 के द्वारा एसेसी बद्री लाल के हिस्से की1.20 स्टे.एकड भूमि एवं एसेसी भैरू लाल के कायम मुकामान

के हिस्से की 16.63 स्टे.एकड भूमि अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये हैं।

9. पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट होंती है कि अपीलार्थी संख्या 2 व 3 के पिता भैरू लाल निर्धारित दिनांक 1–4–66 से पूर्व फौत हो चुके थे तथा भैरू लाल के वारिसान अपीलार्थी संख्या 2 व3(वर्तमान में मथुरा लाल के कायम मुकामान) एवं मु. कल्ली बेबा भैरू लाल थे। इसलिये निर्धारित दिनांक 1–4–66 को भैरू लाल के हिस्से की भूमि के तीन अलग अलग यूनिट मानी जानी चाहिये थी इस प्रकार गणना करने पर एसेसी द्वारा धारण की जाने वाली भूमि सीलिंग सीमा से अधिक नहीं थी। इस सम्बन्ध में आर आर डी 1988 पेज 111 में मण्डल की एकल पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Rajasthan Tenancy Act-Chapter IIIB(Old ceiling Law)Section 30B(a)-Family-Widow and minor sons of Hindu male inherit as tenant in common-Where succession had opened before 1-4-66 the minor sons could not treated as the family of their widowed mother-Each of them had to be assessed as separate units.

2006RBJ(13)page 186 Reshmi&Ors. Vs.State&Ors(H.C.)-

RAJASTHAN TENANCY ACT 19565-Chapter IIIB-Constitution of india 1950 Article226- Determination of ceiling land-All coparceners have right in agricultural land by birth.

10. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी में से 34बीघा 2 विस्वा भूमि नहर में अवाप्त की गई थी। इस तथ्य को नये सीलिंग कानून में अपील संख्या84/75 निर्णय दिनांक 17–3–76 में सहायक जिलाधीश एवं प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग कोटा ने 34बीघा 2 विस्वा भूमि नहर में अवाप्त होना स्वीकार

किया है तथा इसके पश्चात ही उनके द्वारा नये सीलिंग कानून में 354 बीघा 13 विस्वा भूमि मानकर कार्यवाही प्रारम्भ की है। सहायक जिलाधीश एवं प्राधिकृत अधिकारी कोटा ने दिनांक 17–3–76 को 5.30एकड भूमि भैरू लाल के वारिसान से एवं 5.30 एकड भूमि बद्री लाल से अधिग्रहण योग्य माना। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने के पश्चात मण्डल ने दिनांक 11–9–78को अपीलार्थी संख्या 2 रामनिवास,अपीलार्थी संख्या 3 मथुरा लाल एवं बद्री लाल की बेबा काली बाई के विरूद्ध दिये गये आदेश दिनांक 17–3–76 को निरस्त कर दिया और भूमि पुनः अपीलार्थीगण को सम्भला दी गई। परन्तु खातेदार बद्री लाल से नये व पुराने सीलिंग कानून के तहत 71 बीघा 19विस्वा भूमि अधिग्रहण कर ली गई। जैसा कि तहसील रिपोर्ट एवं नकल जमाबन्दी सम्बत 2032–35 के अवलोकन से स्पष्ट होता है।

11. खातेदार बद्री लाल व भैरू लाल के वारिसान रामनिवास,मथुरालाल एवं मृतक काली के संयुक्त खाते से 15बीघा14विस्वा भूमि इन्तकाल संख्या 111व 114 से अधिग्रहण की गई है और 34 बीघा 2 विस्वा भूमि नहर में अवाप्त की गई है। इस प्रकार कुल 54बीघा 8विस्वा भूमि कम की जानी चाहिये थी।

12. एसेसी खातेदार की कुल भूमि 388बीघा 15विस्वा में से उपर वर्णित 54 बीघा 8विस्वा भूमि कम करने के पश्चात 334 बीघा 7विस्वा भूमि खातेदारों के पास बचती है। बद्री लाल की पूर्व में अधिग्रहित 71 बीघा 19विस्वा भूमि कम करने के पश्चात 95 बीघा भूमि लगभग शेष बचती है तथा रामनिवास व मथुरा लाल के पास भी

लगभग 167 बीघा भूमि बचती है। ऐसी स्थिति में इनके पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं थी। जहां तक स्टे.एकड कायम करने का प्रश्न है,अधीनस्थ न्यायालय ने 93.26 स्टे. एकड कायम किये हैं,विधिनुसार गणना करने पर 90.96 एकड बनते हैं।

13. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अतिरिक्त कलेक्टर सीलिंग कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–5–2006 को निरस्त किया जाता है और एसेसी अपीलार्थीगण के पास निर्धारित दिनांक को सीलिंग सीमा से कम भूमि होने के कारण सीलिंग कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य